प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 456/22 दिनांक 30/11/22

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....539 समय 10.30pm.....
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :– 20.09.2022 समय ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पश्चिम दिशा में करीब 07 किलोमीटर
(ब) पता :– तहसील कार्यालय सीकर के सामने बने कॉम्पलेक्श की बनी दुकान पर
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री महेन्द्र सिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रामगोपाल
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी गांव नानी तहसील व जिला सीकर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री प्रभू राम निवासी जाटों का मोहल्ला ग्राम मैनासर तहसील रतनगढ जिला चुरू हाल पटवारी पटवार हल्का नानी तहसील व जिला सीकर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 10,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2022 को परिवादी महेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामगोपाल, जाति जाट, उम्र–34 वर्ष, निवासी गांव नानी तहसील व जिला सीकर ने कार्यालय में उपस्थित होकर श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इय आशय का प्रस्तुत किया कि"गांव नानी तहसील व जिला सीकर की रोही में हमारी पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1943/53 रकबा करीब 25 बिघा है, जो मेरे पिताजी श्री रामगोपाल पुत्र श्री किशनाराम के नाम से है। उक्त भूमि में से मेरे पिताजी ने मेरी सगी भाभी श्रीमती मंजू देवी के नाम उसके हिस्से की भूमि करीब 6.7 बिघा भूमि मेरे पिताजी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई है, जिसकी नामान्तरण दिनांक 01.09.2022 को दर्ज किया जा चुका है। उक्त नामान्तरण के पश्चात उक्त भूमि के बंटवारे हेतु खाता अलग करवाने की प्रकिया की जानी है, जिसके लिये मै पटवार हल्का नानी श्रीमती सन्तोष से मिला से उसने मेरे खाते का बंटवारा करवाने के संबंध में मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की, मैं मेरे जायज कार्य के लिये सन्तोष देवी पटवारी को

रिश्वत देनानहीं चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें।'' उस दिन उप अधीक्षक पुलिस के राजकार्य हेतु जयपुर मुकिम होने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई को जरिये दूरभाष कार्यालय के श्री मूलचन्द कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु भिजवाने की कही, जिस पर श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई द्वारा कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी महेन्द्रसिंह के साथ रवाना नानी किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन श्री मूलचन्द कानि. मय परिवादी श्री महेन्द्रसिंह उपस्थित कार्यालय आये। श्री मूलचन्द कानि. ने टेप रिकार्डर श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई को सुपुर्द कर बताया कि ''मैने तहसील सीकर के सामने बने कॉम्पलेक्श के पास पहूँचकर टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके वापिस आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर बन्द कर दिया'' परिवादी ने बताया कि '' तहसील कार्यालय सीकर के सामने बने कॉम्पलेक्श में नानी पटवारी बैठती है, वहॉ पहूँचकर मैने श्री मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर पटवारी श्रीमती सन्तोष के पास गया और उससे अपने काम के बारे में वार्ता की तो उसने मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत के लेने पर सहमत हुई उसके बाद मैने कॉम्पलेक्श से नीचे आकर टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर दिया'' श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई ने टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुरक्षित आलमारी में रखा गया। उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूख्सत किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को समय 3.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के बाद शहादत कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई ने परिवादी महेन्द्रसिंह द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र मय डिजिटल टेप रिकार्डर एवं रनिंग नोट आदि पेश करने पर उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो उन्होने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायत से सुना गया तो टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में वार्ता रिकार्ड से रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

तत्पश्चात दिनांक 21.09.2022 को परिवादी महेन्द्रसिंह के उपस्थित कार्यालय आने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ की गई। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने श्रीमती सन्तोष पटवारी हल्का नानी से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताते हुये दिनांक 20.09.2022 को श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी से अपने बंटवारे के नामान्तरण के संबंध में वार्ता करना तथा पटवारी द्वारा 10,000 रूपये बतौर रिश्वत लेना सहमत होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि ''सन्तोष पटवारी ने मुझे अपने परिजनों को लेकर समय करीब 2 पीएम तक तहसील कार्यालय सीकर पर आने की कही है, जिस पर कार्यालय जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण केन्द्र सीकर से श्री रामनिवास थालोड़ व्याख्याता एवं श्री संजीत कुमार चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी को तलब किया जाकर कार्यालय में मौजूद परिवादी महेन्द्रसिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी महेन्द्रसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 20.09.2022 को तहसील कार्यालय सीकर के सामने बने कॉम्पलेक्श में बनी दूकान पर श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर से हुई बातचीत को परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसका परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए''

अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी महेन्द्रसिंह ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी महेन्द्रसिंह ने हिदायत देने पर आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 पये पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकसी में अंकित करवाकर नोटों पर श्री रोहिताश कुमार एचसी नं. 18 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री महेन्द्रसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय परिवादी महेन्द्रसिंह, गवाहान श्री रामनिवास थालोड़ व्याख्याता एवं श्री संजीत कुमार चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483 एवं श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 के श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकलों के सीकर से रवाना होकर तहसील कार्यालय सीकर के पहूँचा जहॉ परिवादी को उसके चाहेनुसार पहले नामान्तरण से संबंधित तहसील में की जाने वाली कार्यवाही करने के पश्चात परिवादी को उसके परिजनों को गांव के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करने की हिदायत देकर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के तहसील कार्यालय के पास मुकिम हुआ।

समय करीब 3.30 पीएम पर परिवादी महेन्द्रसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर बताया कि "मैने तहसील कार्यालय में मेरे परिजनों के साथ नामान्तरण से संबंधित तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की तथा उसके बाद परिजनों को गांव के लिये रवाना कर रहा था इतने में ही श्रीमती सन्तोष पटवारी कॉम्पलेक्श की तरफ चली गई, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी को कॉम्पलेक्श में बनी दूकान में आरोपिया पटवारी के पास रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कॉम्पलेक्श के आस–पास परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 3.45 पीएम पर परिवादी ने कॉम्पलेक्श से बाहर मुख्य सड़क पर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकार्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि कॉम्पलेक्स में बनी दूकान में गया जहॉ सन्तोष पटवारी के पास एक अन्य आदमी बैठा था जहॉ मैने सन्तोष पटवारी से अपने काम की वार्ता की तथा उसको ईशारे से रूपये देना चाहा तो उसने अपनी गर्दन हिलाकर रूपये लेने से मना कर दिया, इस पर परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर परिवादी को एसीबी कार्यालय चलने की कहकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। टेप रिकार्डर में टेप वार्तालाप को सुना गया तो रिश्वत लेनदेन के संबंध में कोई स्पष्ट वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। रिश्वती राशि दस हजार रूपयों को एक लिफाफे में डलवाकर मालखाना में रखवाया गया। परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 19.10.2022 को परिवादी महेन्द्रसिंह उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्रीमती सन्तोष को मेरे पर शक हो गया है इसलिये वह अब मेरे से रिश्वत के रूपये नहीं लेगी। परिवादी ने यह भी बताया कि उसने मेरा नामान्तरण दिनांक 02.10.2022 को खोल दिया है। परिवादी ने अपने द्वारा पूर्व

में प्रेषित रिश्वती राशि लौटाने की कही, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि के नोट 10,000 रूपयो पाउडर मुक्त कर परिवादी को जरिये रसीद पृथक से सुपुर्द किये गये।

ऐसी स्थिति में आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के कथन कि " **ठीक है, मनै के करणों है थे बता दियो मैडम दस में कोई गुजांईस कोनी होवे के, देखो मैडम मनै तो बरो कोनी लेकिन ये मेरा पिसा लागणां ही है न जका दस हजार ये मेरे ही लगणां ही भाई साहब रूपयो ही कोनी दे**" जिस पर आरोपिया के कथन कि " **हॉ, थारे कोनी लागे, मै रामगोपाल कनै से ले लेस्यूं, बताओ बांकनै से लेणां है, तो ठीक है थे मनै ल्या दिज्यो**" **जिस पर परिवादी के कथन कि " मैडम ठीक है थे मनै पहली कह दिज्यो मेरे कनै व्यवस्था कोनी मनै व्यवस्था करनी पडेगी, मनै एक दिन पहली कह दिज्यो पहले दिन" जिस पर आरोपिया पटवारी के कथन कि " पहली खियोडी ही है थानै, करणों है तो पहले दिन घंरां ल्यार रख लिज्यो, मै कि टाईम ही ले लेस्यूं आदि** कथनों से आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

उपरोक्त की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी के उसके गांव नानी तहसील व जिला सीकर की रोही स्थित पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1943/53 का परिवादी की सगी भाभी श्रीमती मंजू देवी के नाम उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरण के पश्चात उक्त भूमि के बंटवारे हेतु खाता अलग करवाने के एवज में परिवादी से 10,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है, हालांकि मांग के अनुसार आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर को परिवादी पर शक होने के कारण रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की है। आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पटवारी हल्का नानी तहसील व जिला सीकर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांक हेतु सीपीएस एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री प्रभू राम, पटवारी, पटवार हल्का नानी, तहसील व जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 456/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3932-35 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

30.11.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।